भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-**110001**

सं. प्रेस नोट/**32**/**2017** दिनांक**: 3** अप्रैल, **2017**

प्रेस विज्ञप्ति

उप-निर्वाचनों में ईवीएम तथा वीवीपीएटी लगाए जाने के संबंध में स्पष्टीकरण

आज एक प्रेस सम्मेलन में एक राजनीतिक दल के कुछ एक नेता द्वारा ईवीएम के प्रयोग के संबंध में कुछ निराधर टिप्पणियां की गई हैं तथा आरोप लगाए गए हैं। यह आरोप लगाया गया है कि ईवीएम को परिणामों की घोषणा की तारीख से **45** दिनों तक बाहर नहीं ले जाया जा सकता है परन्तु, फिर भी मध्य प्रदेश में उप-निर्वाचनों के लिए ईवीएम को बाहर निकाला गया है और उत्तर प्रदेश से स्थानांतरित किया गया है जहां **11** मार्च, **2017** को परिणामों की घोषणा हुई और इस प्रकार फिर भी **45** दिनों की अवधि समाप्त नहीं हुई है।

आयोग विधिक स्थिति को स्पष्ट करना चाहता है। किसी निर्वाचन में प्रयोग किए गए कंट्रोल यूनिट **(**सी यू**)** तथा बैलेट यूनिट **(**बी यू**)** वाले ईवीएम को परिणामों की घोषणा के पश्चात् एक स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा और निर्वाचन याचिका दाखिल करने भी अवधि समाप्त होने तक, इन तक किसी की भी पहुंच नहीं होगी। निर्वाचन याचिका **45** दिनों के भीतर दाखिल की जानी होती है। तथापि, वीवीपीएटी मशीनों के मामले में, मतगणना के समय मुद्रित कागज की पर्चियों को वापिस प्राप्त कर लिया जाएगा तथा इन्हें कागज के एक लिफाफे में सील किया जाएगा और केवल इन सीलबंद कागज की पर्चियों को ही स्ट्रांग रूम में ईवीएम के साथ रखा जाएगा। वीवीपीएटी मशीनों को निर्वाचन याचिका के उद्देश्य से स्ट्रांग रूम में रखा जाना विधि द्वारा अपेक्षित नहीं है और ये किसी अन्य निर्वाचन में उपयोग किए जाने के लिए उपलब्ध होती हैं। तथापि, वर्तमान में चल रहे उप-निर्वाचनों में केवल ऐसी वीवीपीएटी मशीनें जिन्हें रिजर्व में रखा गया था और वास्तविक मतदान के दौरान प्रयोग नहीं की गई थी, उन्हें ही पुन**:** लगाया गया है।

भारत निर्वाचन आयोग पर ये भी आरोप लगाए गए हैं कि उत्तर प्रदेश से ईवीएम को भिंड, मध्य प्रदेश में स्थानांतरित किया गया हे। आयोग यह इंगित करना चाहता है कि ये आरोप पूर्णत**:** निराधार हैं तथा इन्हें तथ्यों की पुष्टि किए बिना लगाया गया है। **मध्य प्रदेश में उप-निर्वाचनों के उद्देश्य से किसी भी ईवीएम को उत्तर प्रदेश से स्थानांतरित नहीं किया गया है।** भारत निर्वाचन आयोग भी विद्यमान नीति के अनुसार उप-निर्वाचनों में प्रयोग के लिए विभिन्न राज्यों से अपेक्षित संख्या में वीवीपीएटी मशीनें स्थानांतरित की गई थी। यह इसलिए है कि आयोग के पास उपलब्ध **53500** वीवीपीएटी मशीनों को पांच राज्यों, अर्थात् उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, पंजाब, गोवा तथा मणिपुर में हाल ही में आयोजित मतदानों के दौरान परिनियोजित किया गया था। **10** राज्यों में **12** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अनुसूचित उप-निर्वाचनों हेतु आयोग ने संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को वीवीपीएटी मशीनों के स्थानांतरण तथा आबंटन के लिए निम्नानुसार आदेश जारी किया है**:**

क्र.सं.	**राज्य**	**विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम तथा सं.**	**मतदान केन्द्रों की सं.**	**आबंटित की गई आरक्षित वीवीपीएटी की संख्या**	**राज्य से स्थानांतरित**

1.	असम	113-धेमाजी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र	273	**410**	मणिपुर
2.	हिमाचल प्रदेश	36-भोरंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र	99	**150**	उत्तर पद्रेश
3.	मध्य प्रदेश	09-अटेर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र	288	**435**	उत्तर प्रदेश
		89-बांधवगढ़**(**अ.ज.जा.**)** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र	264	**395**	उत्तर प्रदेश
4.	पश्चिम बंगाल	216-कांथी दक्षिण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र	258	**390**	उत्तर प्रदेश
5.	राजस्थान	79-धौलपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र	219	330	उत्तर प्रदेश
6.	कर्नाटक	214-ननजनगुड **(**अ.ज.जा.**)** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र	236	355	उत्तर प्रदेश
		224-गुन्दलुपेट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र	250	375	उत्तर प्रदेश
7.	तमिलनाडु	11- डॉ. राधाकृष्णन नगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र	256	385	उत्तर प्रदेश
8.	झारखण्ड	04-लिटिपाड़ा **(**अ.ज.जा.**)**विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र	272	410	उत्तर प्रदेश
9.	सिक्किम	28-अपर बुरटुक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र	16	40	मणिपुर
10.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	26-राजौरी गार्डन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र	166	250	उत्तर प्रदेश

आयोग यह स्पष्ट करना चाहता है कि किसी भी निर्वाचन में एक विशेष प्रतिशत में ईवीएम तथा वीवीपीएटी मशीनें रिजर्व में रखी जाती हैं ताकि मतदान के दिन परिनियोजित ईवीएम एवं वीवीपीएटी मशीनों को, आवश्यक होने पर बदला जा सके। रिजर्व में रखी गई ईवीएम तथा वीवीपीएटी को अभ्यर्थियों/राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में अभ्यर्थी सेटिंग के दौरान प्रथम स्तरीय जांच, यादृच्छिकीकरण तथा प्रतीक लोड करने के सख्त प्रोटोकॉल से भी गुजरना होता है। अत**:** जिन वीवीपीएटी को भिण्ड भेजा गया था, उनमें उत्तर प्रदेश से पहले के प्रतीक लोड किए गए थे। यह एक मानक प्रोटोकॉल है और इसमें कुछ भी अनुचित नहीं था। मानक प्रोटोकॉल के अनुसार, पुराने प्रतीक अगले मतदान से पूर्व प्रथम स्तरीय जांच के दौरान यह ही हटा दिए जाते हैं। तथापि **31** मार्च, 2017 को भिण्ड में किए गए प्रदर्शन के दौरान नहीं किया गया था। आयोग के अनुदेशों के अनुसार कोई भी प्रशिक्षण या प्रदर्शन प्रथम स्तरीय जांच पूरी होने के पश्चात् ही आरंभ किया जाता है जो भिण्ड में नहीं किया गया था जिसके लिए आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रतिस्थापित कर दिया है।

अटेर (भिण्ड) में राजनीतिक दल विशेष की पेपर पर्चियों की बहुल प्रिन्टिंग होने के आरोप की जांच के लिए प्रतिनियुक्त विशेष अधिकारी की रिपोर्ट प्रतीक्षित है और इसे सार्वजनिक किया जाएगा।

(धीरेन्द्र ओझा)
निदेशक